आयुष्मान भारत ''निरामयम'' योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों के सम्बद्धता हेतु निम्न बिन्दुओं के अनुसार आवेदन किया जाना है :—

1. निजी चिकित्सालय द्वारा ऑनलाईन पोर्टल **https://hospitals.pmjay.gov.in/empApplicationHome.htm?actionVal=loginPage** द्वारा आवेदन किया जाता है।

2. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की टीम द्वारा ऑनलाईन आवेदन का अवलोकन किया जाता है।

3. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ई—मेल के माध्यम से भौतिक सत्यापन हेतु सूचित किया जाता है।

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त रिपोर्ट ई—मेल के माध्यम से एवं रिपोर्ट के समस्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपी वाहक के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालय भेजी जाती है।

5. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालय पर पदस्थ राज्य इम्पेनलमेन्ट कमेटी के सदस्यों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सत्यापन कर अनुशंसा उपरान्त राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

6. राज्य इम्पेनलमेन्ट कमेटी की बैठक में लिए गए अनुमोदन के आधार पर निजी चिकित्सालय के प्रतिनिधि को प्राधिकार पत्रक के साथ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित हो कर एम.ओ.यू. साइन करने हेतु ई—मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

7. विधि सलाहकार की उपस्थिति में निजी चिकित्सालय के साथ एम.ओ.यू हस्ताक्षर होने के पश्चात राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण कार्यालय द्वारा निजी चिकित्सालय से TMS का लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड 48 घण्टे के अन्दर साझा किया जाता है।